विलोपित विलोपित विलोपित

FIVE RUPEES INDIA Rs.5

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,

ग्वालियर म0प्र0 रिव्यु/3495-PBR/15

प्र. क्र. /रिव्यु/अध्यक्ष/2015/

श्री जगदीश श्रीवास्तव एड० को द्वारा आज दि. 28/10/15 प्रस्तुत

28/10/15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

डोगरसिंह पुत्र स्व0श्री कुन्दनसिंह, निवासी चार शहर का नाका ग्वालियर म0प्र0....प्रार्थी

बनाम

म0प्र0शासन ......प्रतिप्रार्थी

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय श्री मनोज गोयल राजस्व मण्डल ग्वा0के प्रकरण कमांक 6–दो/08/मे पारित आदेश दिनांक दिनांकी 01.07.2015 के निर्णय के विरूद्ध पुर्नअवलोकन</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3495–पीबीआर/2015 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
02–03–2016	उभयपक्ष अधिवक्तागण को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 6–दो/2008 में पारित आदेश दिनांक 01–07–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	